

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

प.4(85)वित्त-1(1)आ.व्य/2017

जयपुर, दिनांक : 25.03.2019

स्वीकृति संख्या:- 852/2018-19

कोषाधिकारी,
उदयपुर।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के पी.डी. खाते में राशि रुपये 793.00 लाख के हस्तांतरण बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ 6/लेखा/सीटीएडी/275(1)प्रस्ताव/2018-19 स्वीकृति सं. 76/2018-19 दिनांक 01.03.2019 राशि रु. 293.00 लाख एवं स्वीकृति सं. 78/2018-19 दिनांक 01.03.2019 राशि रु. 500.00 लाख में अंकित शर्तों के अनुसार आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के पी.डी. खाते में कुल राशि रुपये 793.00 लाख (अक्षरे रूपये सात करोड़ तिरानवे लाख) मात्र निम्न बजट मद में व्यय दर्शाते हुए हस्तांतरित कर दी जावे :-
मांग संख्या -30

- 4225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
- 02 - अनुसूचित जन जातियों का कल्याण
- 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
- (11) - संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनायें
- [07] - सामुदायिक भवनों का निर्माण
- 17 - वृहद निर्माण कार्य राशि रु. 500.00 लाख मात्र
- [17] - राजकीय शिक्षण संस्थाओं में अतिरिक्त निर्माण कार्य
- 17 - वृहद निर्माण कार्य राशि रु. 293.00 लाख मात्र
- योग राशि रु. 793.00 लाख मात्र

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के व्यय के लिये राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 तथा तत्संबंधी नियमों/निर्धारित मापदण्डों, योजना के दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार ही किया जावेगा। किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा।

आदर्श चुनाव आचार संहिता के प्रावधानों के पालन का दायित्व प्रशासनिक विभाग/संबंधित विभाग का होगा तथा आवश्यकता होने पर निर्वाचन विभाग से अनुमति प्रशासनिक विभाग/संबंधित विभाग द्वारा प्राप्त की जाएगी।

भवदीय,

(शरद मेहरा)

निदेशक, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि :-

- 1 महालेखाकार, (लेखा एवं हक/लेखा परीक्षा- प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
- 2 आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
- 3 संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
- 4 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग जयपुर।
- 5 तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग।
- 6 वरिष्ठ लेखाधिकारी, वित्त (बजट-सा.नि.वि.) विभाग, जयपुर।
- 7 अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
- 8 रक्षित पत्रावली।

निदेशक, वित्त (बजट)